FORM-A

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पूर्णियॉ
उपस्थितः–श्री नरेन्द्र कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सत्रवाद संख्या 310 / 2025
निर्णय दिनांक 03 जून, 2026
सी.आई.एस. सं.– 310/2025
प्राथमिकी–जलालगढ़ थाना काण्ड संख्या–191 / 2023

सूचिका	बिहार राज्य द्वारा सूचिका / पीड़िता Y
द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री राहुल राजा, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	मो. तौकीर, उम्र 29 वर्ष, पे0 शेख तमीजउद्दीन, साकीन ग्राम–मरोचा, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियॉ।
द्वारा प्रतिनिधित्व	मो. तलीम अशरफ, विद्वान अधिवक्ता

FORM-B

घटना तिथि	**27.07.2023**
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	**09.10.2023**
आरोप पत्र की तिथि	**30.01.2025**
आरोप गठन की तिथि	**10.07.2025**
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	**24.07.2025**
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	**26.05.2026**
निर्णय की तिथि	**03.06.2026**
दण्ड़ादेश की तिथि, यदि कोई हो	दोषमुक्त

ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for purpose of Section 428 Cr.P.C.
1	मो. तौकीर	22.01.2025	19.08.2025	376 भा. द. वि.	दोषमुक्त	–	06 महीना 27 दिन

नि–र्ण–य

1. उपरिनामित अभियुक्त मो. तौकीर के विरूद्ध अधीन धारा 376 भा. द. वि. में आरोप गठित कर इसकी व्याख्या किया गया जिसे अभियुक्त द्वारा इन्कार किया गया और दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया गया और विचारण किये जाने का दावा किया गया।

2. लैंगिक अपराधों से सम्बन्धित पीड़िता का सामाजिक उत्पीड़न रोकने के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा निर्णय में पीड़िता का नाम उल्लिखित नहीं करना चाहिये। फलस्वरूप प्रस्तुत मुकदमें में पीड़िता को 'Y' के नाम से यहॉ आगे सम्बोधित किया गया है।

3. संक्षेप में, इस मुकदमें का मुख्य अभियोजन पक्षकथन यह है कि पीड़िता 'Y' द्वारा परिवाद वाद संख्या–1925 / 2023 को दिनांक 31.08.2023 को दाखिल करते हुए और इस परिवाद पत्र को द.प्र.स. की धारा 156(3) के अधीन अग्रसारितोपरांत इस आशय का प्राथमिकी दर्ज कराया गया है कि दिनांक 27.

07.2023 को समय करीब 10 बजे रात्रि में अभियुक्त मो. तौकीर के द्वारा फोन करके पीड़िता 'Y' को घर के बाहर आने के लिए कहा गया और जब पीड़िता 'Y' घर से बाहर आई तो इन्हें जबरदस्ती गाड़ी पर बैठाकर जंगल की ओर अभियुक्त ले गये और जबरदस्ती सलवार–कुर्ता फाड़कर बलात्कार किये और जब पीड़िता 'Y' हल्ला करने की कोशिश की तो अभियुक्त ने पीड़िता 'Y' का मुॅह दुपट्टा से बंद कर दिया और जब वह रोने लगी तो अभियुक्त अपने सहयोगियों के साथ पीड़िता 'Y' को घर पर छोड़ दिया जिसे पीड़िता 'Y' का भाई ने देखा और हल्ला किया तो ग्रामीणों के सहयोग से मोबाईल के साथ अभियुक्त को पकड़ लिया गया, किंतु अभियुक्त का सहयोगी गाड़ी को लेकर भागने में सफल हो गया। परिवाद पत्र में यह भी वर्णित है कि इस घटना की जानकारी जलालगढ़ थाना को दी गई और पीड़िता जलालगढ़ थाना भी गई तो बताया गया कि लड़का जिस थाना क्षेत्र का है, उसी थाना में प्राथमिकी दर्ज होगा। अंत में पीड़िता 'Y' के द्वारा पुलिस अधीक्षक को निबंधित डाक से दिनांक 31.07.2023 को इस घटना की जानकारी दी गई। इस प्रकार, कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता 'Y' के द्वारा न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया गया जिसके आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई।

4. पीड़िता 'Y' के द्वारा दाखिल परिवाद पत्र संख्या–1925/2023 को अग्रसारितोपरांत जलालगढ़ थाना काण्ड संख्या–191/2023 दिनांक 09.10.2023 के रूप में पंजीकृत किया गया और मामले का अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया गया। मोकम्मल छानबीन एवं अनुसंधानोंपरान्त आरोप पत्र संख्या 12/2025 दिनांक 30.01.2025 कांड को सत्य पाकर अभियुक्त मो. तौकीर के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया जिसके आधार पर अपराध का संज्ञान लिया गया और दौरा सुपूर्दगी पश्चात यह काण्ड अभिलेख नियमानुसार विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया।

5. इस मामले में, आरोप गठन पश्चात अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित वो पर्याप्त अवसर दिया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और अभियोजन पक्ष का साक्ष्य बंद होने के पश्चात् अभियुक्त का बयान अधीन धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्त ने साक्ष्य कथन को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया है।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा गठित आरोप के समर्थन में कुल तीन साक्षीगण का साक्ष्य कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–1 मो. ताहिर उर्फ तहसीन, अभियोजन साक्षी संख्या–2 पीड़िता 'Y' तथा अभियोजन साक्षी संख्या–3 डॉ. अनिमेश कुमार है।

अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अलावे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में परिवाद पत्र संख्या–1925/2023 के प्रथम पृष्ठ पर पीड़िता

'Y' का हस्ताक्षर को प्रदर्श पी–1, द.प्र.स. की धारा 164 के अधीन दर्ज बयान पर पीड़िता 'Y' के हस्ताक्षर को प्रदर्श पी–2 तथा पीड़िता के चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन को प्रदर्श पी–3 चिंहित कराया गया है।

7. अभियुक्त पक्ष के द्वारा अपने बचाव में किसी भी साक्षी का साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित सभी साक्षीगण का इनके द्वारा सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है।

8. उभय पक्षकारण की बहस सूनी गई है। अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सविस्तार बहस किया गया जिसमें तर्क दिया गया कि प्राथमिकी में अभिकथित बलात्कार की घटना सही नहीं है बल्कि स्थानीय दुश्मनी से प्रभावित होकर यह प्राथमिकी कथित बलात्कार के रूप में मिथ्या अभियुक्त की प्रतिष्ठा को ठेस पहुॅचाने के ख्याल से दर्ज किया गया है। साक्षीगण के द्वारा कथित बलात्कार काण्ड का समर्थन अपने साक्ष्य में नहीं किया गया है एवं स्वयं पीड़िता 'Y' ने भी अपने साक्ष्य में बलात्कार काण्ड के संदर्भ में विरोधाभाषी कथन की है और पक्षद्रोही घोषित है जो इस काण्ड को ही संदिग्ध बनाती है। अंत में, तर्क दिया गया कि इस अभियुक्त मो. तौकीर को दोषसिद्धि हेतु अभिलेख पर समुचित सामग्री नहीं है।

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बहस किया गया कि महत्वपूर्ण तात्विक साक्षीगण इस मामले में परीक्षित हुये है और इससे गठित आरोप सभी शंकाओं से परे साबित होना विदित है।

9. सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। सत्यता की आंकलन हेतु अभिलेख पर परीक्षित इन साक्षीगण के सारभूत साक्ष्य एवं प्रदर्श का अध्ययन एवं विवेचन किया जाना है।

अवधारण के लिए बिन्दु

(POINT FOR DETERMINATION)

10. विदित है कि अभियुक्त मो. तौकीर के विरूद्ध यह आरोप गठित है कि दिनांक 27.07.2023 को 10 बजे रात्रि में पीड़िता 'Y' को जबरदस्ती अपने गाड़ी पर बैठाकर जंगल की ओर ले गये और पीड़िता 'Y' के साथ जबरन बलात्कार किये।

चर्चा, निर्णय और उसके कारण

(DISCUSSION, DECISION AND REASONS THEREON)

11. गठित आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल तीन साक्षीगण का साक्ष्य कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–03 डॉ. अमिनेश कुमार है और इनके द्वारा कथित बलात्कार के पश्चात चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 समर्पित किया गया है जिसके अवलोकन से यह विदित है कि कोई भी स्पर्मेटॉजोआ नहीं पाया गया है और सेक्सूअल ऍसाल्ट का भी कोई संकेत चिकित्सीय जांच के क्रम में पीड़िता 'Y' के ऊपर नहीं पायी गयी

है और दौरान प्रतिपरीक्षण इस साक्षी ने पीड़िता 'Y' का उम्र 22 वर्ष से अधिक होना पाया गया है और चिकित्सीय जांच के समय पीड़िता 'Y' का हायमन ओल्ड टियर पाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–01 मो. ताहिर पीड़िता 'Y' के पिता है और इनके द्वारा मुख्यपरीक्षण में यह साक्ष्य दिया गया है कि घटना के समय वह मजदूरी करने पंजाब गये थे और घटना के बाद जब आये तो इन्हें मालूम हुआ कि इनकी पुत्री पीड़िता 'Y' के साथ अभियुक्त मो. तौकीर द्वारा गलत काम किया गया है। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान इस साक्षी के द्वारा किया गया है। दौरान प्रतिपरीक्षण इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कथित बलात्कार की घटना के विषय के बारे में किससे सुने थे, इन्हें यह याद नहीं है और इनकी पुत्री के साथ कैसा गलत काम हुआ था, यह भी इन्हें जानकारी नहीं है। इनकी पुत्री ने यह बतायी थी कि अभियुक्त मो. तौकीर गलत काम नहीं किये थे और इनकी पुत्री की शादी हो चुकी है। प्रस्तुत मामलें में अतिमहत्वपूर्ण साक्षी पीड़िता 'Y' है और इनका साक्ष्य अभियोजन साक्षी संख्या–02 के रूप में हुआ है। इस साक्षी ने परिवाद वाद संख्या–1925 / 2023 पर अपने हस्ताक्षर की पहचान प्रदर्श पी–1 के रूप में तथा द.प्र.स. की धारा 164 के अधीन दर्ज बयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान प्रदर्श पी–2 के रूप में किया है और मुख्यपरीक्षण में इस साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि यह मुकदमा अभियुक्त मो. तौकीर के विरूद्ध किया गया है और दिनांक 27.07.2023 के दिन में अभियुक्त मो. तौकीर और इनकी मॉ में झगड़ा हुआ था और झगड़ा में पीड़िता 'Y' के साथ कुछ भी नहीं हुआ था और पुलिस में इनका बयान नहीं हुआ था। अभियोजन पक्ष के निवेदन पर इस पीड़ित साक्षी पीड़िता 'Y' को पक्षद्रोही घोषित किया गया है और अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने पर इस साक्षी ने द.प्र.स. की धारा 161 के अधीन दर्ज बयान से इंकार किया गया है और न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान इस साक्षी के द्वारा किया गया है। इस साक्षी का सविस्तार प्रतिपरीक्षण किये जाने पर प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त मो. तौकीर ने इनके साथ बलात्कार नहीं किया था, बल्कि मॉ से झगड़ा होने पर मॉ के कहने पर असमंजस में इनके द्वारा न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल की गई थी जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बाद में पश्चाताप होने पर इस मामलें में इनके द्वारा न्यायालय में सही बात बताते हुए अपना साक्ष्य दिया गया है और प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह बिना भय वो दबाव के न्यायालय में साक्ष्य दिये है और प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में यह स्वीकार किया है कि अनुसंधान के क्रम में जब इनका बयान दर्ज होने वाला था तो मॉ के भय से प्रभावित होकर के न्यायालय में अपना बयान दर्ज कर दी थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 11 में यह स्वीकार की है कि इनकी

मॉ रूबिया खातुन की मृत्यु 6 माह पूर्व हो चुकी है।

12. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विवेचित साक्ष्य के आलोक में यह न्यायालय पाती है कि प्रस्तुत मामलें में किसी भी साक्षी ने पीड़िता 'Y' के ऊपर अभियुक्त मो. तौकीर के द्वारा कथित बलात्कार का स्पष्ट समर्थन नहीं किया है। चिकित्सक साक्षी के द्वारा भी पीड़िता 'Y' के ऊपर स्पर्मेटॉजोआ नहीं पाया गया है और स्वयं पीड़िता 'Y' भी अपने साक्ष्य में पक्षद्रोही घोषित है और इनके द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त मो. तौकीर इनके साथ कोई बलात्कार नहीं किया था। इस प्रकार यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त मो. तौकीर के विरूद्ध गठित आरोप की धारा 376 भा. द. वि. को सभी तर्कसंगत एवं उचित शंकाओं से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतएव, यह न्यायालय अभियुक्त मो. तौकीर के विरूद्ध गठित आरोप में इन्हें निर्दोष पाती है। तदनुसार इन्हें दोषमुक्त करते हुए रिहा किया जाता है।

ऊपर नामित अभियुक्त का जमानत बंधपत्र अधीन धारा 437क द.प्र.स. के प्रावधानानुकूल अगले छः मास तक प्रवृत्त रहेगा।

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)
ह0 / –
(नरेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
पूर्णियॉ

ह0 / –
(नरेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
पूर्णिया

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पूर्णियॉ

साक्ष्य का परिशिष्ट
अनुक्रमणिका
सत्रवाद सं0 310 / 2025
सी.आई.एस. सं.– 310/2025
प्राथमिकी संख्या–जलालगढ़ थाना काण्ड संख्या–191 / 2023

FORM-C

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution:-

Rank	Name	Nature of Evidence
P.W.-1	मो. ताहिर उर्फ तहसीन	अनुश्रूत
P.W.-2	पीड़िता 'Y'	पीड़ित साक्षी / चक्षुदर्शी
P.W.-3	डॉ. अनिमेष कुमार	चिकित्सक

B. Defecne Witness, if any:-

Rank	Name	Nature of Evidence
D.W.-1	–	-

C. Court Witness, if any:-

Rank	Name	Nature of Evidence
CW1	-	-

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:-

No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श P-1	परिवाद पत्र संख्या–1925 / 2023 के प्रथम पृष्ठ पर पीड़िता 'Y' का हस्ताक्षर।
2	प्रदर्श P-2	अनुसंधान के कम में द.प्र.स. की धारा 164 के अधीन दर्ज बयान पर पीड़िता 'Y' का हस्ताक्षर।
3	प्रदर्श P-3	पीड़िता 'Y' का चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन।

B. Defence:-

No.	Exhibit Number	Description
1.	–	–

C. Court Exhibits:-

No.	Exhibit Number	Description
-	-	-

D. Material Object:-

No.	Material Object Number	Description
-	-	-

ह0 / –
(नरेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
पूर्णियॉ

Date of Judgment	03.06.2026
Date of reserving Judgment	26.05.2026
Uploading date	04.06.2026
Uploaded by	Chandan Singhaniya C.R.-cum-D.W.